न्यायालय-तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड पाटन, जिला-जबलपुर (म0प्र0)

{समक्षः-विजया भारती यादव}

Registration No.	RCSA/200157/2013
Filing No.	174/2013
CNR No.	MP2006-000624-2013
Filing Date	09/10/2013

राजबहादुर सिंह राजपूत, उम्र लगभग 61 वर्ष, पिता स्व0 मोहन सिंह,
निवासी-ग्राम खैरी, तहसील शहपुरा,
जिला-जबलपुर (म0प्र0) .....वादी

//विरूद्ध//

1. योगेन्द्र सिंह, उम्र लगभग 51 वर्ष, पिता संतसिंह,
   निवासी-ग्राम खैरी, तहसील शहपुरा,
   जिला-जबलपुर (म0प्र0)
2. म0प्र0 राज्य द्वारा जिला कलेक्टर, जबलपुर
   जिला-जबलपुर (म0प्र0)
3. किरण सिंह, उम्र लगभग 51 वर्ष, पति स्व0 प्रकाश सिंह,
4. संग्राम सिंह, उम्र लगभग 48 वर्ष, पिता स्व0 नवाब सिंह,
5. मनोज सिंह, उम्र लगभग 43 वर्ष, पिता स्व0 नवाब सिंह,
   क्रमांक 3 से 5 निवासी शहपुरा, तहसील शहपुरा,
   जिला-जबलपुर (म0प्र0)
6. प्रदेश सिंह, उम्र लगभग 56 वर्ष, पिता स्व0 नवाब सिंह,
   निवासी जयप्रकाश नगर, तहसील व जिला-जबलपुर (म0प्र0)

(विजया भारती यादव)
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड
पाटन, जिला-जबलपुर (म.प्र.)

7. श्रीमती सत्यवती, उम्र लगभग 53 वर्ष, पिता स्व0 नवाब सिंह,
पति कढ़ोरी सिंह, निवासी कंचनपुर, थाना गोहलपुर,
जिला-जबलपुर (म0प्र0)

8. त्रिभुवन सिंह, उम्र लगभग 52 वर्ष, पिता संतसिंह,

9. श्रीमती सपना सिंह, उम्र लगभग 46 वर्ष, पति स्व0 अभिलेख,
क्रमांक 8 व 9 निवासी खैरी वार्ड शहपुरा, जिला-जबलपुर (म0प्र0)

10. श्रीमती विभा सिंह पिता स्व0 संतसिंह, पति वीरेन्द्र सिंह **(मृत)**
द्वारा विधिक प्रतिनिधिः-
1. वीरेन्द्र सिंह, उम्र लगभग 53 वर्ष, पिता कीर्तिशेष तोमर,
2. संस्कार उर्फ ऋषि तोमर, उम्र लगभग 24 वर्ष, पिता वीरेन्द्र सिंह,
दोनों निवासी डी-1/4 मिनाल रेसीडेंसी भोपाल (म0प्र0)

11. राजेन्द्र सिंह, उम्र लगभग 66 वर्ष, पिता स्व0 मोहन सिंह,

12. सोबरन सिंह, पिता स्व0 मोहन सिंह, **(मृत)**
द्वारा विधिक प्रतिनिधिः-
1. चंद्रप्रभा सिंह गौर, उम्र लगभग 63 वर्ष, पति सोबरन सिंह,
2. जयकांत सिंह गौर, उम्र लगभग 41 वर्ष, पिता सोबरन सिंह,
3. प्रतिभा सिंह, उम्र लगभग 43 वर्ष, पिता सोबरन सिंह,

13. रामराज सिंह, उम्र लगभग 61 वर्ष, पिता स्व0 मोहन सिंह,
क्रमांक 11 से 13 निवासी खैरी वार्ड शहपुरा, जिला-जबलपुर (म0प्र0)

14. धर्मेन्द्र सिंह, उम्र लगभग 48 वर्ष, पिता वीरेन्द्र सिंह बघेल,

15. धीरेन्द्र सिंह, उम्र लगभग 45 वर्ष, पिता वीरेन्द्र सिंह बघेल,

16. प्रभाकर सिंह, उम्र लगभग 43 वर्ष, पिता वीरेन्द्र सिंह बघेल,
क्रमांक 14 से 16 निवासी अमरपाटन, अहिरगांव, सतना,
जिला-सतना (म0प्र0)

(विजया भारती यादव)
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड
पाटन, जिला-जबलपुर (म.प्र.)

17. मुकेश सिंह, उम्र लगभग 49 वर्ष, पिता शिवपाल,

18. राकेश सिंह, उम्र लगभग 45 वर्ष, पिता शिवपाल,

19. विनीत सिंह, उम्र लगभग 41 वर्ष, पिता शिवपाल,

क्रमांक 17 से 19 निवासी चन्नोटा गोसलपुर,

जिला-जबलपुर (म0प्र0)

20. शील बाई, उम्र लगभग 51 वर्ष, पिता स्व0 मोहन सिंह,

21. हृदेश कुमारी, उम्र लगभग 53 वर्ष, पति कुंवरकांत सिंह,

पिता स्व0 मोहन सिंह,

क्रमांक 20 से 21 निवासी ग्राम खमरिया, तहसील बटैयागढ़,

जिला-दमोह (म0प्र0) .....**प्रतिवादीगण**

वादी द्वारा श्री डी0के0 पटैल, अधिवक्ता।
प्रतिवादी क्रमांक 01, 04, 05, 12 द्वारा श्री वीरेन्द्र सिंह अधिवक्ता।
प्रतिवादी क्रमांक 08, 13 एवं 14 के विधिक वारसान द्वारा श्री पंचम सिंह अधिवक्ता।
प्रतिवादी क्रमांक 02, 03, 06, 07, 09, 10, 13 से 22 एवं प्रतिवादी क्रमांक 11 के विधिक वारसान पूर्व से एकपक्षीय।

आदेश
(आज दिनांक 11.05.2026 को पारित)

01. इस आदेश के माध्यम से वादी की ओर से प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत आदेश 39 नियम 01 व 02 सहपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता आई0ए0 नंबर 07/25 का निराकरण किया जा रहा है।

02. आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी द्वारा मौजा पौंड़ी, प0ह0नं0 53, तहसील शहपुरा, जिला जबलपुर स्थित खसरा नंबर 30 रकबा 1.720 हेक्टेयर भूमि के संबंध में स्वत्व घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु वाद प्रस्तुत किया है। विवादित भूमि वादी के पिता स्व0 मोहन सिंह की पैतृक संपत्ति थी, जो उन्हें पंच फैसला बंटवारा दिनांक 19.06.1968 के माध्यम

(विजया भारती यादव)
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड
पाटन, जिला-जबलपुर (म.प्र.)

से प्राप्त हुई थी, तब से वादी उक्त भूमि पर लगातार कब्जे में चला आ रहा है। वादी के पिता मोहन सिंह का स्वर्गवास वर्ष 1980 में हो गया और त्रुटिवश उसके स्थान पर मात्र उनकी पत्नी अर्थात् वादी की मां जमना बाई का नाम दर्ज कर दिया गया और वादी का नाम राजस्व अभिलेखों से हटा दिया गया, जबकि उसके पूर्व वादी का नाम भी राजस्व अभिलेखों में दर्ज था और उक्त संपत्ति वादी को प्राप्त हुई थी, उसमें जमना बाई का कोई हक व अधिकार नहीं था। किसी प्रकरण चले बिना एवं किसी दस्तावेज को निष्पादित किये बिना वादी की मां जमना बाई का नाम मात्र त्रुटिवश राजस्व अभिलेखों में दर्ज कर दिया गया था। जमना बाई का स्वर्गवास दिनांक 01.01.1995 में होने के बाद फौती के आधार पर उनके समस्त वारसान अर्थात् प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दिये गये, उसके आधार पर प्रतिवादीगण स्वयं को उक्त संपत्ति का मालिक बताने लगे और वादी के स्वामित्व से इंकार करने लगे और वादी की भूमि में कब्जा करने का प्रयास करने लगे, तब वादी द्वारा उक्त वाद प्रस्तुत किया गया है।

03. आवेदन आगे इस प्रकार है कि उक्त प्रकरण में प्रतिवादीगण जानबूझकर नोटिस नहीं ले रहे हैं, जिससे उनकी तामीली नहीं हो पा रही है, इस कारण वादी द्वारा प्रकाशन का आवेदन प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादीगण ने विवादित भूमि किसी अन्य व्यक्ति पवित्र पटैल को दिनांक 09.09.2025 को विक्रय करने का इकरारनामा लिख दिया है, जिसकी रजिस्ट्री की सीमा 03 माह अर्थात् दिनांक 09.09.2025 से दिसम्बर 2025 तक तय की गयी है। यदि वाद लंबन के दौरान उक्त संपत्ति विक्रय कर दी जाती है, तो वाद बाहुल्यता बढ़ेगी और वादी को अपूर्णीय क्षति होगी, क्योंकि पवित्र पटैल को विक्रय करने का इकरारनामा किया है वह बिल्डर है, जो भूमि को क्रय करने का इकरार करके किन्हीं अन्य व्यक्तियों को अधिक रूपयों में अंतरित कर देता है। इस कारण उक्त संपत्ति के अंतरण होने की पूर्ण संभावना है। प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन और अपूर्णीय क्षति के तीनों बिन्दु वादी के पक्ष में है। अतः आवेदन पत्र स्वीकार कर प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रकरण के अंतिम निराकरण तक वादग्रस्त भूमि अन्य किसी रीति से विक्रय, अंतरण करने से निषेधित किये जाने का निवेदन किया है।

04. प्रतिवादी क्रमांक 01, 04, 05, 08 व 12 द्वारा वादी के आवेदन में वर्णित तथ्यों को विनिर्दिष्टतः अस्वीकार करते हुए जवाब प्रस्तुत कर अतिरिक्त कथन में अभिवचनित किया है कि वादी द्वारा पूर्व में भी एक अस्थायी निषेधाज्ञा का आवेदन राजस्व न्यायालय की कार्यवाही के स्थगन के संबंध में पेश किया गया था, जिसे पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 28.04.2014 को खारिज कर दिया। तत्पश्चात् वादी ने उक्त आदेश के विरूद्ध सिविल रिवीजन प्रस्तुत किया था, वह भी दिनांक 09.01.2025 को खारिज हो गया। तत्पश्चात् वादी ने माननीय

(विजया भारती यादव)
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड
पाटन, जिला-जबलपुर (म.प्र.)

उच्च न्यायालय के समक्ष पुनः रिवीजन पेश किया है, जो कि विचाराधीन है, उक्त तथ्यों को वादी द्वारा छिपाया गया है। विवादित भूमि राजस्व अभिलेखों में जमना बाई के नाम पर दर्ज थी तथा उनकी मृत्यु के बाद उक्त जमीन पर जमना बाई के सभी वारसानों का नाम फौती के आधार पर दर्ज हो चुका है, किंतु वादी द्वारा प्रस्तुत दावे में स्व0 मोहन सिंह एवं स्व0 जमना बाई के वारसानों को आवश्यक पक्षकार नहीं बनाया गया है, उनको बिना सुने वादी विवादित जमीन के संबंध में कोई राहत नहीं दी जा सकती है। विवादित भूमि लगभग 16-17 वर्ष से स्व0 जमना बाई के नाम पर दर्ज थी, उक्त प्रविष्टि को भी वादी द्वारा चुनौती नहीं दी गयी कि जमना बाई का विवादित जमीन पर गलत तरीके से नाम दर्ज हो गया तथा जमना बाई की मृत्यु के बाद विवादित जमीन पर जमना बाई के सभी वारसानों का नाम फौती के आधार पर दर्ज हो गया है। उक्त आदेश के विरूद्ध भी वादी ने कोई चुनौती नहीं दी है, जो वैधानिक है तथा विवादित जमीन में जमना बाई के सभी वारसानों का शामिल सरीक रूप से कब्जा चला आ रहा है। राजस्व न्यायालय राजस्व संबंधी कार्यवाही करने के लिये पूर्ण रूप से स्वतंत्र है।

05. जवाब आगे इस प्रकार है कि विवादित जमीन की वर्तमान में कीमत अधिक होने के कारण वादी की नीयत खराब हो गयी है, इस कारण स्व0 जमना बाई के सभी वारसानों को बिना सुने षड़यंत्र पूर्वक वादग्रस्त भूमि अकेले हड़पना चाहता है। विवादित जमीन में स्व0 जमना बाई की मृत्यु के बाद सभी वारसान बराबर के हकदार हैं, जो वादी नहीं देना चाहता है तथा संपूर्ण विवादित जमीन अकेले हड़पना चाहता है। वादी द्वारा जिस इकरारनामा को आधार बनाकर उक्त आवेदन प्रस्तुत किया गया है, वह इकरारनामा प्रथम दृष्ट्या ही संदेहास्पद है, क्योंकि इकरारनामा में न तो गवाहों के हस्ताक्षर हैं, न ही इकरारगृहीता के हस्ताक्षर हैं, न ही बकलम वाले के हस्ताक्षर हैं। इकरारनामा में लिखी इबारत में वादग्रस्त जमीन क रकबे में कांटछांट की गयी है। इस आधार पर वादी उक्त इकरारनामा के आधार पर कोई राहत प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है, मात्र उक्त आवेदन पत्र वादी द्वारा प्रतिवादीगण को परेशान करने की नीयत से प्रस्तुत किया गया है। अतः आवेदन पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

06. प्रतिवादी क्रमांक 12 के विधिक प्रतिनिधि जयकांत सिंह द्वारा वादी के आवेदन में वर्णित तथ्यों को विनिर्दिष्टतः अस्वीकार करते हुए जवाब प्रस्तुत कर अभिवचनित किया है कि 1995 में नामांतरण होना व कब्जा करना बताया जा रहा है, तब से लेकर 2013 में दावा प्रस्तुत करने तक प्रतिवादी का उक्त भूमि पर अपने अंश पर काबिज है। ऐसी स्थिति में उनके स्वामित्व एवं आधिपत्य में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। चूंकि इकरारनामा कुछ पक्षों द्वारा किया गया था, उसकी अवधि पूर्ण हो चुकी है। वर्तमान में कोई इकरार

(विजया भारती यादव)
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड
पाटन, जिला-जबलपुर (म.प्र.)

प्रभावी नहीं है, न ही विक्रय किया जा रहा है। चूंकि वर्तमान में स्वामित्व एवं आधिपत्य अंशानुसार है, ऐसी स्थिति में वादी को एकमात्र स्वामी नहीं माना जा सकता। वादी को किसी प्रकार की क्षति न होने के कारण तथा सुविधा का संतुलन सहस्वामित्व, सहआधिपत्य होने की दशा में आवेदन निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

07. शेष प्रतिवादीगण एकपक्षीय होने के कारण उनका जवाब अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है।

08. अस्थायी निषेधाज्ञा के आवेदन का निराकरण करने हेतु न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित 03 बिन्दुओं पर विचार किया जाना आवश्यक है :-

1. क्या प्रथम दृष्टया वाद वादी के पक्ष में है ?
2. क्या अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं किए जाने पर वादी को अपूर्णीय क्षति होगी ?
3. क्या सुविधा के संतुलन का सिद्धांत अस्थाई निषेधाज्ञा दिए जाने के पक्ष में है ?

विचारणीय बिन्दु क्रमांक-01 का सकारण निष्कर्ष

09. सर्वप्रथम यह निर्धारित किया जाना आवश्यक है कि क्या प्रथम दृष्टया वाद वादी के पक्ष में है ? अर्थात् क्या वादी द्वारा सद्भाविक रूप से विधि अथवा तथ्य का ऐसा प्रश्न उठाया गया है, जिसका गुण-दोष पर निराकरण किया जाना आवश्यक है ? वादी की ओर से आवेदन के समर्थन में स्वयं का शपथ पत्र एवं दस्तावेज खसरा पांचसाला वर्ष 2001-06, खसरा वर्ष 1972-74, किश्तबंदी वर्ष 1973-74, अधिकार अभिलेख वर्ष 1984, राजस्व प्रकरण क्रमांक 284/अ-/2015 की सत्यप्रति, खसरा एवं नक्शा वर्ष 2023-24, खसरा पांचसाला वर्ष 1975-79, किश्तबंदी वर्ष 2006-07 प्रस्तुत किये हैं। इसके विपरीत प्रतिवादी क्रमांक 01, 04, 05, 08 व 12 द्वारा अपने जवाब आवेदन के समर्थन में योगेन्द्र सिंह का शपथ पत्र एवं प्रतिवादी क्रमांक 12 के विधिक प्रतिनिधि जयकांत सिंह द्वारा अपने जवाब आवेदन के समर्थन में स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है।

10. प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि वादी द्वारा प्रकरण प्रस्तुत किये जाने के दौरान वादग्रस्त भूमि के संबंध में तहसीलदार शहपुरा के समक्ष विचाराधीन राजस्व प्रकरण क्रमांक 51/अ-6/2013-14 की कार्यवाही को रोके जाने हेतु आवेदन अंतर्गत आदेश 39 नियम

(विजया भारती यादव)
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड
पाटन, जिला-जबलपुर (म.प्र.)

01 व 02 सिविल प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत किया गया था, जिसके संबंध में तत्कालीन विचारण न्यायालय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड द्वारा आदेश दिनांक 28.04.2014 के माध्यम से वादग्रस्त भूमि पर जमना बाई के विधिक वारसानों का समान हक होने के आधार पर प्रथम दृष्ट्या मामला वादी के पक्ष में न होने के कारण खारिज कर दिया गया था, जिसके विरूद्ध वादी द्वारा अपील प्रस्तुत किये जाने पर माननीय अपीलीय न्यायालय द्वारा भी आदेश दिनांक 09.01. 2015 के माध्यम से वादी की अपील को खारिज कर दिया गया था। तत्पश्चात् वादी द्वारा पुनः आवेदन अंतर्गत आदेश 39 नियम 01 व 02 सिविल प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत करते हुए वादग्रस्त भूमि के संबंध में बंटवारा के आधार पर अन्य लोगों को विवादित भूमि के विक्रय व हस्तांतरण किये जाने से वाद बाहुल्यता व अपूर्णीय क्षति का उल्लेख करते हुए राजस्व न्यायालय के समक्ष की जा रही बंटवारे की कार्यवाही को स्थगित किये जाने का निवेदन किया गया था, जिसे न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 18.05.2017 के माध्यम से नामांतरण के आधार पर स्वत्व का अर्जन न होने तथा विक्रय किये जाने की दशा में वादी को धारा 52 का संरक्षण प्राप्त होन के आधार पर आवेदन निरस्त कर दिया गया था।

11. वादी द्वारा पुनः उक्त आवेदन प्रस्तुत करते हुए वादग्रस्त भूमि का अन्यत्र अंतरण किये जाने से निषेधित किये जाने हेतु अस्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है। वादी के अनुसार प्रतिवादीगण द्वारा राजस्व अभिलेख में वादग्रस्त भूमि पर नाम दर्ज होने के आधार पर वादग्रस्त भूमि का विक्रय करने के उद्देश्य से पवित्र पटैल के पक्ष में इकरारनामा निष्पादित किया गया है एवं उक्त इकरारनामा की अवधि 03 माह नियत है। वादी द्वारा अपने अभिवचनों के समर्थन में इकरारनामा की छायाप्रति प्रस्तुत की गयी है। इकरारनामा 100 रूपये के स्टाम्प पर लेख किया गया है, जिसमें साक्षियों के स्थान पर किसी साक्षी के नाम व हस्ताक्षर का उल्लेख नहीं है और न ही इकरारकर्ता के रूप में किसी व्यक्ति के नाम व हस्ताक्षर हैं, इकरारगृहीता के स्थान पर प्रतिवादीगण के हस्ताक्षर होना दर्शित है। उक्त इकरारनामा के अवलोकन से यह भी दर्शित है कि इकरार की गयी भूमि की रजिस्ट्री की समय सीमा 03 माह अर्थात् दिनांक 09.09.2025 से दिसम्बर 2025 तक नियत किये जाने का उल्लेख है। आज दिनांक तक प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि अन्य व्यक्ति को विक्रय की गयी हो, अभिलेख पर यह स्पष्ट नहीं है। इसके अतिरिक्त यहां यह भी उल्लेखनीय है कि यदि प्रतिवादीगण द्वारा राजस्व अभिलेख की प्रविष्टियों के आधार पर प्रकरण लंबित रहने के दौरान वादग्रस्त भूमि का विक्रय किया जाता है, तो उक्त विक्रय के संबंध में वादी को धारा 52 संपत्ति अंतरण अधिनियम का संरक्षण प्राप्त है। परिणाम स्वरूप प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि किसी अन्य को विक्रय किये जाने के संबंध में प्रथम दृष्ट्या मामला वादी के पक्ष में प्रमाणित नहीं है।

(विजया भारती यादव)
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड
पाटन, जिला-जबलपुर (म.प्र.)

विचारणीय बिन्दु कमांक-02 का सकारण निष्कर्ष

12. कोई क्षति अपूर्णीय तब कही जाती है, जब धन के माध्यम से उसका पर्याप्त प्रतिकर न दिलाया जा सकता हो अथवा जहां नुकसान को मापने के कोई निश्चित मानक न हों। वादी के पक्ष में प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रमाणित नहीं हुआ है, तब वादी को अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान न किये जाने पर अपूर्णीय क्षति होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। अतः अपूर्णीय क्षति का बिंदु वादी के पक्ष में नहीं पाया जाता है।

विचारणीय बिन्दु क्रमांक-03 का सकारण निष्कर्ष

13. सुविधा के संतुलन के संबंध में यह सुस्थापित नियम है कि निषेधाज्ञा जारी किये जाने से विपक्ष को होने वाली असुविधा, निषेधाज्ञा जारी न किये जाने पर पक्ष को होने वाली असुविधा की तुलना में अधिक नहीं होगी। चूंकि प्रथम दृष्टया मामला एवं अपूर्णीय क्षति वादी के पक्ष में नहीं पाये गये हैं। ऐसी स्थिति में सुविधा का संतुलन भी अस्थाई निषेधाज्ञा जारी न किये जाने के पक्ष में है।

14. अतः उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि वादी अपने पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला, अपूर्णीय क्षति तथा सुविधा का संतुलन साबित करने में **असफल** रहा है। परिणाम स्वरूप वादी की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 01 व 02 सहपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता आई0ए0 नंबर 07/25 **निरस्त** किया जाता है।

15. इस आदेश का प्रकरण के गुणदोष पर पारित निर्णय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

16. आवेदन का व्यय वादी स्वयं वहन करेगा।

आदेश खुले न्यायालय में दिनांकित हस्ताक्षरित कर पारित किया गया।

(विजया भारती यादव)
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड
पाटन, जिला-जबलपुर (म0प्र0)

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(विजया भारती यादव)
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड
पाटन, जिला-जबलपुर (म0प्र0)